(238)

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र --I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14331/1006 दिनांकः– 28/02/2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद् डिहरी डालमियानगर के वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 445/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

28/02/2013
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
-7 MAR 2013

नगर परिषद डिहरी डालमियानगर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-445/12-13
अवधि- 2010-11 से 2011-12 तक

1.प्रस्तावनाः-

नगर परिषद डिहरी डालमियानगर के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तक के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, सोशल सेक्टर - 1, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांक 08.10.2010 से 20.10.2012 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासनः-

क्रम सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुनीता पासवान	1.4.09 से 31.3.12

क्रम सं0	उपाध्यक्ष का नाम	
1.	श्रीमती विन्दा देवी	1.4.09 से 31.3.12

क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	मो0 वशीर अहमद	1.4.09 से 4.8.09
2	श्री शिव कुमार गर्व	5.8.09 से 15.4.10
3.	तृत्यानंद रंजन	16.4.10 से 31.3.12

3.लेखा परीक्षा का क्षेत्र :-

अंकेक्षण मे जांच किये गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नही किये गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट- II में दी गयी है।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनः-

बिहार म्युनिसिपल लेखा नियम 1928 नियम 20,64 एवं 73 क में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदा० अथवा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय, के द्वारा किया जाएगा। इस तरह के जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गयी थी।

अभिलेखों की जाँच के कम में यह पाया गया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर परिषद प्राधिकारी द्वारा नही की गयी, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गयी। इनका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं में की गयी है।

अतः नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त नियम के उपबंधों के अनुरुप जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके।

5. अधिदृष्य :-

(क) नगर परिषद डिहरी के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आय-व्यय का विवरण रोकड बही के अनुसार निम्न प्रकार था।

	2010-11	2011-12
1. प्रा० शेष -	4,07,78,819.42	5,81,28,708.42
2. वर्ष का आय-	2,79,89,028	4,83,74,360
3. कुल आय-	6,87,67,847.42	10,65,03,068.42
4. वर्ष का व्यय-	1,06,39,139	81,15,566
5. अंत शेष-	5,81,28,708.42	9,83,87,502.42

अंकेक्षण टिप्पणीः–

रोकड बही के प्राप्ति शीर्ष के पृष्ठ संख्या 64,69, 115,121,133,139,156 तथा 185 पर गणना की त्रुटियों के कारण रोकड बही का अंत शेष बढ/घट गया जिसका विवरण निम्नवत् था।

कम सं0	रोकड बही पृष्ठ सं0	रोकड बही में दर्ज राशि	वास्तविक राशि	अन्तर
1	64	33,289	32,646	+ 643
2	79	3,08,973	3,09,297	+ 324
3	115	8,26,570	8,26,571	+ 1
4	121	97,51,572	97,51,345	– 227

रोकड बही के व्यय शीर्ष के पृष्ठ संख्या 61,88, 104,127 तथा 144 पर गलत जोड के कारण रोकड बही का अंत शेष बढ और घट गया था। जिसका विवरण निम्नवत था।

कम सं0	रोकड बही पृष्ठ सं0	रोकड बही में दर्ज राशि	वास्तविक राशि	अन्तर
1	61	5,63,638	3,63,965	–199673
2	88	1,60,043	1,60,083	+ 40
3	104	43,80,877	43,47,056	–33821

उक्त त्रुटियों के अलावा भी रोकड़बही में माह के अंत में त्रुटीपूर्ण अंतशेष की राशि पायी गयी। उक्त सभी त्रुटीयों को दूर कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

२०७)

(ख) बैंक पास बुक के अनुसार 31.3.12 तक का अंत शेष निम्न प्रकार था।

1	कोषागार खाता	4,20,92,883
2	प्रशासनिक (A/c No.73490100080268) भवन मध्य बिहार ग्रमीण बैक डिहरी)	4,17,816
3	B.P.L. सेर्वेक्षण(A/c No.67090,MBGB)	11,115
4	खाता सं0 11352484466 S.B.I डिहरी	14,42,264
5(क)	खाता सं0 57118 MBGB डिहरी	5,03,565
(ख)	खाता सं0 57896P.N.B डिहरी	2,782
6	पेंशन निधि खाता सं01943874913,S.B.I डिहरी	24,464
7	IDSMT (खाता सं0281560 P.N.B डिहरी)	1,37,75,750
8	B.R.G.F (खाता सं0266817 P.N.B डिहरी) केनरा बैक खाता सं0 231510101953 9	2,14,17,006 50,54,562
9	कबीर अंतयोष्टी (खाता सं0077130 MBGB डिहरी)	17,59,049
10	बलिका समृध्दि (खाता सं0020845 बैंक ऑफ इंडिया डिहरी)	अप्रस्तुत
11	बरहवीं वित आयोग(खाता सं0-77112,MBGB डिहरी)	15,82,200
12	गंदी वस्ती खाता सं0 73490100047856	51,042
(A)	खाता सं0 57887 P.N.B भेडिया	2260029
(B)	खाता सं0 47856 MBGB भेडिया	51,042
13	स्वर्ण जयंती (खाता सं0 45159 MBGB डिहरी)	7,94,146
14	MLC FUND (खाता सं0 17121 MBGB डिहरी)	1,20,150
15	पंजाब नेशनल बैंक 06074000100295925	47,37,343
	योगः-	9,60,97,208

अंतर ₹22,90,294 (₹9,83,87,502-₹9,60,97,208) कैश बुक एवं बैक पासबुक के अंतर राशि का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

6. पी0एल0 खाता रोकड बही की त्रुटियाँः-

पी0 एल0 खाता रोकड बही का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। इसके संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी।

(i) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किसी भी वर्ष में प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष नही दर्शाया गया था।

(ii) आय एवं व्यय के शीर्ष का वर्गीकरण नही किया गया था।

(iii) भुगतान के विरुद्ध की गयी प्रविष्टि में अभिश्रव संख्या एवं चेक संख्या दर्ज नही पाया।

(iv) कैश बुक में आय व्यय के प्रविष्टियों में काफी काट-छाँट की गयी थी जिस पर किसी भी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही था।

उक्त त्रुटियों को दुर कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

7. पूर्ववर्ती लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिससे लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशांसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाये जाय।

8. महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा उपलब्धियाँ

क्रम सं०	कंडिका सं०	कंडिका का विवरण
1	18	बंदोवस्ती राशि की वसूली नही रू0103698
2	20	बस पडाव स्थित सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती की राशि की वसूली नहीः-रू0295500
3	22	दुकानदारों के पास बकाया किराया . रू03839260
4	23	शिक्षा एवं स्वास्थय उपकर की वसूल गयी राशि का

		सरकारी खाते में जमा नहीं किया जानाः–रू0405121
5	25	सरकारी भवन कर की बकाया राशिः–रू03542084
6	26	अधिवक्ता को भुगतानः–रू053300
7	27	बिहार संचार टावर एवं संबंधित संरचना के पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं:–रू0850000
8	28	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (विचलन) रू01124784
9	29	तेरहवां वित्त आयोग (विचलन)रू0990791

9. मुख्य लेखा पंजियों का संधारण नही किया जाना तथा आंतरिक नियंत्रण का अभावः–

बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 एवं बिहार म्युनिसिपल एकांउट्स रूल 1928 में वर्णित मुख्य लेखा पंजियों का संधारण नही किया गया, यथा–वार्षिक वित्त विवरण, बजट, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे, अनुदान पंजी, ऋण पंजी, ऋण विनियोजन पंजी अग्रिम पंजी, मुख्य करों की माँग पंजी एवं योजना पंजी इत्यादी का संधारण नही किया गया। मोबाइल टावर की माँग एवं वसूली पंजी भी संधारित नही की गयी । इन पंजियों के अभाव में माँग एवं वसूली की वास्तविक स्थिति, अनुदान एवं संबंधित योजनाओं की स्थिति का पता नहीं चल पाया। यह आंतरिक नियंत्रण प्रंणाली की कमी एवं विफलता को दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप उच्चपदाधिकारी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं जैसे– नगर परिषद निधि के दुरूपयोग एवं गबन इत्यादि को नियंत्रित करने में समर्थ नही हो पाएगें। अतएव उक्त पंजियों को यथाशीघ्र संधारित कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

[अतः वर्तमान में संचालित सभी बैंक खातों को बंदकर उनकी अवशेष राशि सासाराम कोशागार में नगर परिषद के पी० एल० एकाउन्ट में जमा की जाय]

10. विलोपितः-

11. बजटः-

बिहार म्युनिसिपल अधिनियम 2007 की धारा 82 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बजट प्राक्कलन तैयार कर नगर परिषद की बैठक मे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है एवं अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा स्वीकृत बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक भेज दी जायेगी।

लेखा परीक्षा अवधि 2010-11 एवं 2011-12 में बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। नगर परिषद निधि से ऐसा कोई व्यय नही किया जा सकता है जो आयुक्तों/परिसर सदस्यों द्वारा प्राधिकृत एवं बजट प्राक्कलनों के अनुसार स्वीकृत न हो। अतः बजट पारित नहीं कराने के कारण अगले परीक्षा में स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में बजट बनाकर एवं उसे पारित कराकर बजट के अनुसार व्यय किया जाय।

12. मासिक,त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे का संधारणः-

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 82 से 84 के अनुसार नगर परिषद को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा तैयार करना वांछित है। लेकिन नगर परिषद् डिहरी डालमियानगर द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था, अतः उक्त लेखे को संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखया जाय।

13. अनुदानः-

नगर परिषद, डिहरी डालमियानगर के वित्तीय वर्ष 2010-11एवं 2011-12 के लेखाओं के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

अनुदान पंजी के अनुपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2010–11के पूर्व का अवशेष अनुदानों की स्थिति और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों का दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय और वितीय वर्ष 2011–12 के अन्त में शेष अनुदानों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अनुदान पत्रों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010.–11 तथा 2011–12 में प्राप्त अनुदानों की स्थिति परिशिष्ट (iii) पर दिया गया है।

अनुदान पंजी को यथाशीघ्र संधारित कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

14. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधिः–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के सहायक रोकड वही के वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के अनुसार आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार थाः–

	2010–11	2011–12
प्रा0 शेष–	1,49,84,510	2,55,49,181
वर्ष की प्राप्ति–	1,16,21,530	शुन्य
कुल प्रप्ति–	2,66,06,040	2,55,49,181
वर्ष की व्यय–	10,56,859	124
अन्त शेष–	2,55,49,181	2,55,49,057

अंकेक्षण टिप्पणीः–

दिनांक 31.03.12 को रोकड़ वही के अंतशेष रू0 2,55,49,057 को बैंक पास बुकों के अंतशेष ₹ 2,64,71,568 (पंजाब नैशनल बैक खाता संख्या–0607000100266817 ₹ 2,14,17,006, केनरा बैंक डिहरी खाता संख्या–231510109539 ₹ 50,54,562) के अन्तर ₹ 9,22,511(₹

2,64,71,568 - ₹ 2,55,49,057) का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

1. सहायक रोकड़ वही के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत ₹ 2,55,49,057 रहने के वावजूद किसी भी योजना का क्रियान्वयन नही किए जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

2. वर्ष 2010-11 के योजना से संबन्धित योजना अभिलेख योजना संचिका एवं योजना पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

15. कबीर अंत्येष्टिः-

कबीर अंत्येष्टि के सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2010-11एवं 2011-12 का आय व्यय विवरणी निम्न प्रकार था।

	2010-11	2011-12
1. प्रा0 शेष -	10,51,011	12,41,654
2. वर्ष का आय-	6,86,143	8,17,395
3. कुल आय-	17,37,154	20,59,049
4. वर्ष का व्यय-	4,95,500	3,00,000
5. अन्त शेष-	12,41,654	17,59,049

बैंक पास बुक (मध्य ग्रामीण बैंक डेहरी खाता सं0-7349010007 7130) के अनुसार 31.03.12 का अन्त शेष ₹17,59,049 था।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

कबीर अन्त्येष्टि मद की राशि को कबीर अन्त्येष्टि के अलावा किसी दूसरे मद मे व्यय नही करना था परन्तु नगर परिषद द्वारा कबीर अन्तयेष्टि की राशि को अन्य मद में व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है।

228

क्रम सं0	महीना	राशि (₹)	अभियुक्ति
1	मार्च 2011	500	₹ 1000 प्रति फार्म छपाई
2	जून 2012	1500	₹ 300 प्रति फार्म छपाई
		2000	

अतः विचलन की गयी राशि ₹ 2000 की प्रतिपूर्ति की जाय। तब तक ₹2000 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

16. नहीं जमा/कम जमा (निकाय की राशि का दुर्विनियोजन) ₹ 4,17,734.00

रसीद फार्म 'एच' एवं दैनिक वसूली पंजी की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री शिव शंकर प्रसाद, शिव कुमार गुप्ता एवं मो0 सुभान अंसारी द्वारा 11.02.99 से 10.06.2011के अवधि में कुल मो0 ₹ 36,090.00 कर संग्रहण के रूप में वसूली की गयी। (परिशिष्ट iv)। रोकड़ पाल रोकड़ वही एवं रोकड़पाल द्वारा बैंक में जमा की गयी राशि के नमूना जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ पाल श्री श्रीनिवास तिवारी के द्वारा प्राप्त राशि ₹ 3,81,644.00 मार्च 2012 तक जमा नहीं की गयी थी। अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक हर माह कम से कम ₹ 2,00,000 रोकड़ पाल द्वारा अपने पास रखा गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट V पर दिया गया है। संग्रहण की राशि नियमानुसार संग्रहण की तिथि को या उसके अगले दिन पूर्वाहन तक पी0 एल0 खाता/ बैंक खाता में जमा कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं

किया गया/संग्रहण की राशि निधि में जमा नहीं की गयी। पूरी/अंशतः राशि संग्रहकर्त्ताओं द्वारा अपने पास रख लिया गया।

इस प्रकार ₹ 4,17,734.00 (₹ 36,090.00+₹ 3,81,644.00) का दुर्विनियोजन किया गया। जिसकी वसूली संबंधित संग्रहकर्त्ताओ/रोकड़पाल से किया जाय।

17. लेखा परीक्षा के दौरान जमा करायी गयी राशि ₹0.18 लाख

विविध रसीद एवं दैनिक वसूली पंजी की नमूना जाँच में पाया गया कि श्री सुधीर कुमार रावत द्वारा 10.11.10 से 26.03.12 के अवधि में कर संग्रहण के रूप में वसूली की गयी। कुल राशि ₹ 18,200.00 को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा में आपत्ति उठाये जाने पर विविध रसीद संख्या 00143 दिनांक 19.10.2012 को कुल राशि ₹18,200.00 जमा किया गया। इसका बैंक में जमा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

18. बन्दोवस्ती की राशि जमा नहीं– ₹1.04 लाख

बन्दोवस्ती पंजी नगर परिषद द्वारा संधारित नही किया गया था अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान किए गये बन्दोवस्ती की संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि बंदोवस्तीधारी द्वारा निम्नलिखित बन्दोवस्ती की पूर्ण राशि जमा नही किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है।

1. नगर परिषद बस पडाव 2010–11

बन्दोवस्ती का समय– 01.06.2010 से 31.03.2011

बन्दोवस्तीधारी का नाम– श्री ओमप्रकाश राय

बन्दोवस्ती की राशि– ₹3,61,000.00

बन्दोवस्तीधारी द्वारा जमा राशि का विवरण- विविध रसीद सं0- 1868 दि0 26.05.10 - ₹1,50,458 और चेक सं0- 234934 दि0 31.03.11 से ₹ 1,50,460 कुल ₹ 3,00,918

बकाया राशि- ₹ 60,082 (₹ 3,61,000-₹ 3,00,918) बन्दोवस्तीधारी से वसूल कर नगर परिषद के खाते में जमा किया जाय।

दिनांक 01.04.2010 से 31.05.2010 तक बस स्टैण्ड का वसूली किसके द्वारा और कितना हुआ इसे लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया इसे अगले अंकेक्षण मे बताया जाय।

2. **नगर परिषद बस स्टैण्ड 2011-12**

बन्दोवस्ती का समय- 11.05.11 से 31.05.12

बन्दोवस्ती धारी का नाम- श्री ओम प्रकाश राय

बन्दोवस्ती की राशि- ₹3,98,000.00

जमा राशि का विवरण-

बोली के समय-		40,000
स्टेट बैक खता सं0-	84466-	1,37,192
चेक संख्या-	134946-	1,77,192
	कुल जमा	3,54,384

बकाया राशि ₹ 43,616 (₹3,98,000-₹3,54,384) को बन्दोवस्ती धारी से वसूल कर नगर परिषद खाता में जमा किया जाय।

19. प्रत्यक्ष विनियोजन-₹4.80 लाख

रोकड़ पाल रोकड़ बही का लेखा पाल रोकड़ बही के साथ मिलान करने के क्रम में पाया गया कि जमा की गयी राशि को रोकड़पाल द्वारा बैक में जमा न कर प्रत्येक माह नगद व्यय किया गया। इस प्रकार वर्ष

225

2010-11 एवं 2011-12 में कुल ₹ 4,79,958 का प्रत्यक्ष विनियोजन किया गया।(परिशिष्ट VI)

अंकेक्षण टिप्पणीः-

1. बिहार म्यूनिसिपल एकाउन्ट्स रूल 1928 के नियम 22 के अनुसार किसी भी परिस्थिति में नगद व्यय नही किया जाना था। अतः व्यय की गयी राशियों का विहित रूप से अभिश्रव पारित कर जमा राशियों को नगर पंचायत निधि में जमा करें।

2. नगद व्यय की प्रक्रिया को तत्काल बंद कर वसूली की राशि बैंक में जमा कर चेक निर्गत की प्रक्रिया अपनाकर परिषद का आवश्यकता अनुसार व्यय किया जाय। प्रत्यक्ष विनियोजन की गयी राशि ₹4,79,958.00 को नियमित किये जाने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

20. बस पड़ाव स्थित सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती की राशि की वसूली नहीः-

बस पडाव स्थित सुलभ शौचालय संचिका के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के ज्ञापांक संख्या 326 दिनांक 30.07.2008 के द्वारा ₹4,500/- प्रति माह के दर से ₹ 54,000.00 (4500X12) रूपये वार्षिक से श्री जुगनु राम, वार्ड जमादार को बंदोबस्ती किया गया।

उक्त बन्दोबस्तकार के द्वारा अक्टूबर 2012 तक बंदोबस्ती की राशि नगर परिषद में जमा नहीं किया गया था। ध्यातव्य है कि इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर के पत्रांक सं0 365 दिनांक 21.09.2010 के द्वारा अगस्त 2008 से अगस्त 2010 तक की कुल बकाया राशि ₹ 4,500X25=₹ 1,12,500.00 रूपये जमा करने का आदेश दिया गया था लेकिन उक्त अवधि के बाद बंदोबस्ती की राशि की वसूली हेतु न तो पत्राचार किया गया और न ही कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

अतः बंदोबस्ती की कुल बकाया राशि ₹ 2,29,500 (अगस्त 2008 से अक्टूबर 2012 तक ₹ 4,500X51= ₹2,29,500.00) की वसूली संबंधित/जिम्मेदार

व्यक्ति से किया जाये तथा परिषद् के खाते में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में संबंधित दस्तावेज दिखाया जाये।

21. एच रसीद /विविध रसीद अप्रस्तुत

निम्नलिखित एच रसीद/विविध रसीद अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था

क्रम सं0	रसीद सं0	जारी करने की तिथि	कर संग्रहकर्ता/रसीद बुक प्राप्तकर्ता का नाम
1	एच8101से 8200	22.7.05	श्री शिवशंकर प्रसाद
2	एच9501 से 9600	27.5.06	श्री शिवशंकर प्रसाद
3	एच 9401 से 9500	7.1.06	श्री आलोक कुमार सिंह
4	एच52901 से 53000	15.7.08	श्री आलोक कुमार सिंह
5	एच57801 से 57900	22.4.10	श्री ददन प्रसाद

लेखा परीक्षा में एच रसीद/विविध रसीदों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से वसूली गई राशि के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त रसीदों से संग्रहित राशियों का जमा कार्यपालक पदाधिकारी सुनिश्चित करें एवं लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित करें।

22. बकाया दुकान किराया–₹38.39 लाख

नगरपरिषद डिहरी के अधीन दुकानों के माँग एवं वसूली पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न दुकानदारों के पास लम्बी अवधि से किराया बकाया था। परिषद द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत बकाया किराया सूची के अनुसार कुल 31 दुकानदारों के पास दिनांक 31.03.2012 को कुल ₹ 38,39,260/–किराया बकाया था।(परिशिष्ट VII)

अतः राशि ₹ 38,39,260/– को दूकानदारों से वसूलकर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय तथा जमा से संबंधित दस्तावेज अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

23 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गयी राशि का सरकारी खाते में जमा नहीं किया जाना–₹4.05 लाख

नगर परिषद द्वारा शिक्षा उपकर एवं स्वाथ्य उपकर को भवन कर का 50% की दर से दिनांक1.04.1982 से वसूल किया जाना था। वसूल की गयी राशि में से 10 % वसूली प्रभार काटकर, शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था। वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान निम्नलिखित राशियों शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में वसूल की गयी, परन्तु इन्हें राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नही किया गया था:–

क्रम संख्या	वर्ष	शिक्षा उपकर की वसूली की राशि	स्वास्थ्य उपकर की वसूली की राशि
1.	2010–11	90,604	1,13,506
2.	2011–12	1,09,943	1,36,,082
	योग:–	2,00,547	2,49,588
	घटाव 10%	20,055	24,959
		1,80,492	2,24,629

अतः उपरोक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली मे से 10% की राशि वसूली प्रभार काटकर शेष राशि ₹ 4,05,121 (180492 +224629) राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

222

24 नगर परिषद के मकान करों का पुनरीक्षण नहीं:-

बिहार एवं उडीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 के अनुसार नगर परिषद के भवन कर में वृद्धि हेतु प्रत्येक पाँच वर्ष पर करों के पुनरीक्षण का प्रावधान था। नगर परिषद द्वारा अंतिम कर निर्धारण अप्रैल 1976 में किया गया। तत्पश्चात विगत 34 वर्षो की अवधि में भवन कर एवं अनुसंगी करों का पुनरीक्षण नही किया गया। नगर परिषद में राजस्व में वृद्धि हेतु मकान कर के पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही किया जाय।

25.सरकारी भवन कर की बकाया राशि-₹35.42 लाख

नगर परिषद, डिहरी द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत सरकारी भवन पर कर की बकाया राशि की विवरणी के अनुसार सरकारी भवन पर 30.06.2012 तक बकाया कर की राशि ₹ 35,42,084/- थी । (परिशिष्ट VIII)

अतः विभिन्न सरकारी भवन पर बकाये कर की राशि वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

26.अधिवक्ता को भुगतान-₹0.53 लाख

लेखापाल रोकडबही के जाँच के क्रम में पाया कि अधिवक्ताओं को ₹ 53,300/- का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	राशि(₹)	अभियुक्ति
1.	03.04.2010	25,000	सतीश कुमार अधिवक्ता को
2.	30.04.2010	3,300	भुगतान युगल किशोर अधिवक्ता
3.	08.03.2011	25,000	स तीश कुमार अधिवक्ता को
		53,300	

(22)

उपरोक्त राशि अधिवक्ताओं को किस उद्देश्य हेतु दिया गया यह लेखा परीक्षा में नहीं वताया गया इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय एवं Suit Register (वाद पंजी) को अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक व्यय किये गये राशि ₹ 53,300 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

27. मोबाईल टावर कंपनियों से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं–₹8.50 लाख

बिहार संचार टावर एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार कोई संचालन जो पूर्व में संचार टावर खड़ा कर चुका है या खड़ा करना चाहता है उन्हें टावर के पंजीकरण के आवेदन के स्वीकृति के पश्चात् पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क नगर परिषद क्षेत्र के लिये क्रमशः ₹ 40,000 तथा ₹10,000 प्रति वर्ष प्रति टावर के दर से लिया जाना था। पंजीकरण एवं नवीकरण फीस के भुगतान के बिना तथा नगरपालिका की अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थपित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी संचार टावर को सील कर दिया जाना था जब तक पूर्णतः बकाया राशि तथा उस पर अर्जित व्याज प्राप्त न हो जाये।

नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखाओं के नमूना जाँच एवं नगर परिषद के द्वारा प्रस्तुत किये गये अधिष्ठापित टावरों के सूची के अनुसार निम्नलिखित अधिष्ठापित संचार टावरों से पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क वसूली नही की गयी। फलस्वरुप कुल ₹ 8,50,000 की हानि नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर को हुआ। (परिशिष्ट IX)

उक्त राशि ₹ 8,50,000 रूपये की वसूली संबंधित संचार टावरों/हानि के जिम्मेवार व्यक्तियों से कर परिषद निधि में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

28. निरस्त

29.तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि का विचलन–₹9.91 लाख

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र संख्या 4713 दिनांक17.08.2010 के निर्देशानुसार नगर निकायों के लिए 13वें वित आयोग से प्राप्त राशि का व्यय निम्नवत किया जाना चाहिए।

1. कम–से–कम 50% राशि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर।
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रख–रखाव सहित।
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किए बिजली के बिल के भुगतान।
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम (Old Age Home) का निर्माण एवं रख–रखाव हेतु।

नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लेखाओं के नमूना जाँच तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत योजना पंजी तथा योजनाओं की विस्तृत विवरणी के अवलोकन के दौरान पाया गया कि सरकार के उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंधन कर तेरहवें वित आयोग की अनुदान राशि ₹990791.00 को सड़क एवं नाली निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया गया। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट X)

इस प्रकार, 13वें वित आयोग की राशि को सरकार के निर्देशों के विपरीत योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय कर विचलन किया गया। विचलित किये गये राशि की प्रतिपूर्ति कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाये जाने तक व्यय कि गयी राशि ₹ 9,90,791.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

30.विलंब शुल्क और रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना–₹0.43 लाख

योजना सं0– अंकित नहीं (पि0 क्षे0 अनु0 निधि)

योजना का नामः– वार्ड नं0–7 में रक्षावीर से अवधेश यादव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण ।

ग्रूप संख्या- 63/2011-12

प्राक्कलित राशिः- ₹ 3,93,939

संवेदक का नामः- श्री सुशील कुमार सिंह पिता श्री बालदेव सिंह कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथिः- 02.03.2012

कार्य पूर्ण करने की अवधिः- 1 माह

मापी की राशिः- ₹ 3,89,040

कार्य समाप्ति की तिथिः- 20.05.2012

कार्य की भौतिक स्थितिः- पूर्ण

अंकेक्षण टिप्पणीः-

(i) उक्त कार्य के निविदा के शर्त्त 2 के अनुसार संवेदक को दिनांक 01.04.2012 तक कार्य पूर्ण करना था। किन्तु उक्त कार्य को 1 माह 18 दिन विलम्ब से समाप्त करने के पश्चात संवेदक को पूर्ण राशि का भुगतान किया गया, जबकि निविदा के शर्त 2 के अनुसार निर्धारित अवधि से विलंब होने पर प्राक्कलित राशि का प्रतिदिन ½ प्रतिशत तथा अधिकतम 10% की कटौती किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ₹ 38,904(389040का 10 प्रतिशत) का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया। जिसकी वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय तथा परिषद के खाते में जमा कर लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

(ii) उक्त संचिका में मापी पुस्तिका संलग्न नही था इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(iii) उक्त संचिका के नमूना जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त कार्य में रॉयल्टी की राशि की कटौती किये बिना संवेदक को पूर्ण भुगतान किया गया। फलस्वरूप संवेदक को कुल मो0 ₹4,346/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विवरण निम्न है।

कम सं0	समाग्री/मात्रा	रायॅल्टी (₹)
1.	ईट 22,331	447
2.	स्थानीय बालू 446cft	315
3.	चिप्स 64M^3	3200
4.	सोन बालू 12M^3	384
		4,346

जिसकी वसूली कर संबंधित विभाग को विप्रेषित कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

31.निष्फल व्ययः-

योजना संख्याः- 01/2007-08

योजना मदः- प्रशासनिक भवन

अभिकर्ता का नामः- श्री अशोक कुमार, प्रधान सहायक सह लेखापाल।

योजना का नामः- नगर परिषद, डिहरी, डालमियानगर के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु।

प्राकलित राशिः- ₹ 51,72,100

तकनीकी स्वीकृति की तिथिः- 02.01.2007

प्रशासनिक स्वीकृति की तिथिः- 30.03.2007

कुल अग्रिम की राशिः- ₹35,07,500 (अंतिम अग्रिम की तिथि17.02.2009)

मापी पुस्तिका की राशिः- ₹30,60,435(अंतिम मापी की तिथि 25.01.2009 छाया प्रति संचिका में संलग्न)

मास्टर रौल अनुपलब्ध

अभिश्रव अनुपलब्ध

योजना की भौतिक स्थितिः- अपूर्ण।

अंकेक्षण टिप्पणीः-

बिहार सरकार, नगर विकास विभाग के पत्र सं0 1398 तिथि 30.03.2007 के द्वारा नगर परिषद्, डिहरी डालमियानगर के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु ₹ 38,79,075 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त राशि बिहार सरकार, नगर विकास विभाग के पत्र सं0 शून्य तिथि 18.04.2007 के द्वारा ₹ 38,79,075 (ड्राफ्ट सं0 090769 तिथि 11.04.2007) नगर परिषद को दिया गया।

प्रशासनिक भवन के निमार्ण हेतु नगर परिषद ने श्री अशोक कुमार, प्रधान सहायक सह लेखापाल को अभिकर्त्ता नियुक्त किया और उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु अभिकर्ता को ₹ 35,07,500 अग्रिम दिया गया था। अंतिम अग्रिम देने की तिथि 17.02.2009 थी। उक्त अग्रिम के विरुद्ध संचिका में संलग्न मापी पुस्तिका के फोटो स्टेट प्रति के अनुसार अंतिम मापी की तिथि 25.01.2009 को कुल मों0 ₹ 30,60,435 का कार्य अंकित कराया गया। संचिका में कोई भी मस्टर रौल अथवा अभिश्रव नहीं पाया गया और न ही उक्त कार्य के विरुद्ध खरीदे गये सामाग्रियों पर रॉयल्टी या वैट की कोई भी राशि की कटौती की गयी थी।

संचिका के अवलोकन के दौरान यह भी पाया गया कि नगर परिषद, डिहरी डालमियानगर के ज्ञापांक संख्या 157 दिनांक 30.03.2009 के द्वारा उक्त कार्य में गुणवता की कमी के कारण कार्य को अविलंब रोक दिया गया। उक्त जाँच की प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

उक्त कार्य में संलग्न मापी पुस्तिका के छाया प्रति के अनुसार ₹30,60,435 का कार्य कराया गया था किन्तु उचित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

16)

के अभाव में ₹ 30,60,435 के व्यय करने के वावजूद भी आज तक (अक्टूबर 2012) तक उक्त प्रशासनिक भवन परिव्यत्य था तथा नगर परिषद डिहरी, डालमियानगर पुराने जर्जर भवन में पूर्व के तरह कार्य कर रहा था। इस प्रकार उक्त कार्य में व्यय की गयी राशि ₹30,60,435 पूणर्तः निष्फल रहा। अतः निष्फल व्यय एवं माफी पुस्तिका से अधिक भुगतान की कुल राशि ₹35,07,500.00(30,60,435+4,47,065) को संबंधित/जिम्मेदार व्यक्ति(यों) से वसूल की जाये।

32.असमायोजित अग्रिम :-

लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन के कम में पाया गया कि वर्ष 2010-2011 एवं 2011-12 में नगर परिषद के कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्य हेतु अग्रिम ₹ 6,05,490/- दिया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट XI पर दिया गया है।)

उपर्युक्त अग्रिम के सांमजस्य देखर्ने हेतु अग्रिम पंजी एवं सांमजस्य अभिश्रवण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे लेखा परीक्षा अवधि से पूर्व का बकाया अग्रिम, लेखा परीक्षा में दिया गया अग्रिम तथा समायोजित अग्रिम को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः अगले अंकेक्षण में अग्रिम पंजी का विहित संधारण कर प्रस्तुत किये जाने, तक भुगतान किये गये राशि ₹6,05,490/- को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

33.लेखा परीक्षा परिणामः-

(क) अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गयी राशि-₹18200.00

(ख) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि -₹21,31,539.00

(ग) वसूली के लिए सुझाव दी गयी राशि -51,51,682.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट XII पर दिया गया है।)

215

34.कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालापः–

लेखा–परीक्षा के कम में जारी की गयी विभिन्न आपत्तियों एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी संचिकाओं एवं पंजियों पर नगर परिषद डिहरी–डालमियानगर के कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 19.08.2012 को वार्त्तालाप की गयी।

35.सामान्य अभ्युक्तिः–

नगर परिषद डिहरी–डालमियानगर के अभिलेखों का संधारण असंतोषप्रद था, इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय कार्यकलाप का परिदृष्य स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। रोकड़पंजी, सहायक रोकड़पंजी विहित प्रपत्र में तैयार किए जाने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा–अग्रिम पंजी, करों की मॉंग व वसूली पंजी, योजना पंजी का संधारण किया जाना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली में वर्णित अभिलेखों को संधारित कराने का यथाशीघ्र कार्यवाई की जाय।

हस्ता0–

राजीव कुमार सिंह

(पर्यवेक्षक)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

सं0 एल0ए0/एस0 एस0-1/श0स्था0नि0 दिनांकः

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, डेहरी को अग्रसारित कर अनुरोध है कि इस की जाय एवं प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अंदर बोर्ड से अनुमोदित अनुपालन अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित त्रुटियों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु बैठक आयोजित प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

-ह0-

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सामाजिक प्रक्षेत्र-I,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना

सं0 एल0ए0/एस0एस0-1/श0स्था0नि0/1433/1006 दिनांकः 28/02/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, रोहतास
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, सरकार, पटना

28/02/2013
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सामाजिक प्रक्षेत्र-I,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए अभिलेखों की सूचीः-

(प्रतिवेदन की कंडिका सं0-3 के संदर्भ में)

क0सं0	विवरण
1.	लेखापाल रोकड़ वही
2.	चेक अधकट्टी
3.	कोशागार पास बुक
4.	बैक विवरणी/पासबुक
5.	अभिश्रव (आंशिक)
6.	एच रसीद
7.	विविध रसीद
8.	रसीद से संबंधित भंडार पंजी
9.	रोकड़पाल रोकड़ पंजी
10.	बसस्टैन्ड, शौचालय बन्दोवस्ती से संबंधित अभिलेख
11.	दुकान किराया से संबंधित पंजी
12.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान का रोकड़ बही
13.	कबीर अंत्योष्टि रोकड़बही एवं बैंक पासबुक
14.	दैनिक वसूली पंजी।

परिशिष्टि – II

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए अभिलेखों की सूचीः–

(प्रतिवेदन की कंडिका सं0– 3 के संदर्भ में)

क्रम सं0	विवरणः–
1.	टिन टिकट संचिका
2.	अनुदान पंजी
3.	ऋण पंजी
4.	मुद्रांकन शुल्क पंजी
5.	प्रशासनिक मॉडल भवन से संबंधित मापी पुस्तिका मस्टर रौल एवं अभिश्रव
6.	उतम विज्ञापन ऐजेसी संचिका
7.	बजट
8.	वार्षिक लेखें
9.	खतरनाक एवं भयावह व्यापार से संबंधित संचिका
10.	मॉग एवं वसूली पांजी
11.	पेशाकर
12.	भविष्य निधि खता
13.	सभी मदों का योजना पंजी एवं योजना अभिलेख
14.	सेवा पुस्तिका
15.	पेंशन खाता
16.	बैठक पंजी
17.	ट्रेक्टर का लॉग बुक
18.	मोबाइल टावर का मॉग एवं वसूली पंजी।
19.	दावा प्रपत्र (छायाप्रति)
20.	द्वादश वित आयोग रोकड़ बही।

परिशिष्ट --III

वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुदानों की विस्तृत विवरणी

कंडिका सं0 13 में संदर्भित

क्रम सं0	रोकड़ बही की तिथि	मद/विवरणी	राशि
1	8.7.10	क्बीर अंत्येष्टि चेक सं0 214846	468000
2	11.9.10	कबीर अंत्येष्टि	175500
3		नगर प्रबंधक का वेतन चेक सं0 708341 दिनांक 31.10.10	140000
4	31.12.10	बी आर जी एफ ड्राफ्ट सं0 665752	1850761
5	6.1.11	बी आर जी एफ ड्राफ्ट सं0 665893	3866942
6	22.1.11	13 वॉं वित पत्रांक सं095 दिनांक 17.8.10	4600000
7	6.3.11	13 वॉं वित पत्रांक सं075 दिनांक 17.8.10	4600000
8	19.12.10	मुद्रांक शुल्क पत्र सं0285 दिनांक 6.10.10	1321761
9	19.12.10	मुद्रांकशुल्क पत्र सं0 336 दिनांक 9.11.2010	3131840
10	22.1.11	निर्वाचित पार्षदों इत्यार्दि का मानदेय पत्र सं0 69तिथि 20.4.10	159600
11	6.3.11	पार्षदों का भत्ता	159600
12 12A.	22.1.11 6.3.11	नगर विकास विभागपत्र सं0 126 तिथि 16.11.10 वेतन 2010-11 वेतन	995217 9,95,217
13	11.2.11	जनगणना चेकसं0403915	770637
14.	21.3.11	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	715710
15.	31.3.11	चापाकल मद पत्र सं0 180 दिनांक 30.3.11	3120000